



Neutral Citation No.- 2026:AHC:128218

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या-19347/2026

निखिल कुमार

..... याची

बनाम

कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एवं 3 अन्य प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता: कृष्णा दीप सिंह, महेंद्र पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अश्वनी त्रिपाठी, रामानुज त्रिपाठी, रोहित पांडे

न्यायालय संख्या-49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याची के विद्वान अधिवक्ता; प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 के विद्वान अधिवक्ता, श्री अश्वनी त्रिपाठी; प्रतिवादी संख्या 1 तथा 2 के विद्वान अधिवक्ता, श्री रोहित पांडे, विद्वान अधिवक्ता तथा न्यायमित्र के रूप में श्री कार्तिकेय सरन, विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका निजी प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 द्वारा पारित दिनांक 16.12.2025 के आक्षेपित आदेशको चुनौती देते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 की अनुशासन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर याची को छह महीने की अवधि हेतु निलंबित किया गया था। याची के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह प्रार्थना की है कि याची को बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बैच 2021-22 (आठवें सेमेस्टर) की नियमित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाए।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याची को दिनांक 16.12.2025 के आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा उक्त निर्णय अनुशासन समिति द्वारा लिया गया है जिसमें अपील ग्रहण किए जाने का कोई और प्रावधान नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक छात्रा तथा याची के बीच कुछ विवाद था तथा याची के विरुद्ध यह कहते हुए एक शिकायत दर्ज कराई गई कि याची ने छात्रा को शारीरिक हमले की धमकी दी है। छात्रा द्वारा शिकायत किए जाने पर, कॉलेज ने इसका संज्ञान लिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तथा याची के साथ-साथ याची के पिता को भी कारण बताओ नोटिस जारी की। याची के पिता ने कॉलेज प्राधिकारी के साथ एक बैठक में भाग लिया तथा आश्वासन दिया कि याची भविष्य में ऐसे किसी आचरण में लिप्त नहीं होगा तथा कोई अनुशासनात्मक समस्या नहीं होगी। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निलंबन की नोटिस ने अपील के उपचार हेतु कोई मंच प्रदान नहीं किया तथा इस प्रकार वह निलंबन के आदेश के विरुद्ध किसी उपचार से रहित हो गया है। इस चरण में, वे प्रस्तुत करते हैं कि छह महीने की निलंबन अवधि दिनांक 15.06.2026 को समाप्त हो चुकी है और इसलिए, याची को मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

4. इसके विपरीत, निजी कॉलेज की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आदेश निजी कॉलेज द्वारा पारित किया गया है और इसलिए, केवल इस आधार पर रिट याचिका पोषणीय नहीं है। वे प्रस्तुत करते हैं कि कॉलेज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की परिधि में नहीं आता, इसलिए कॉलेज द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध कोई रिट याचिका पोषणीय नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि अनिवार्य उपस्थिति नहीं है, इसलिए याची को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
5. इस चरण में, न्यायालय ने प्रतिवादी कॉलेज के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में गुण-दोष का अवलोकन किया तथा श्री कार्तिकेय सारन से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति के संबंध में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया। श्री सारन ने न्यायालय को **रिट-ए संख्या 63708/2014; रॉयचन अब्राहम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय से अवगत कराया, जिसमें न्यायालय ने विशिष्ट मुद्दे तैयार किए, जो नीचे पुनरुत्पादित किए जाते हैं:-

"(1) क्या शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थान एक लोक कर्तव्य, एक राज्य कार्य निभाते हैं, जिससे वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक समीक्षा के अधीन हो जाते हैं;"

6. श्री कार्तिकेय सारन ने आगे न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के प्रस्तर 40 से 50 में दिए गए उक्त प्रश्न के उत्तर की ओर दिलाया तथा फिर न्यायालय का ध्यान प्रस्तर 64 की ओर दिलाया, जो नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"64. प्रश्न(i): छह वर्ष की आयु से ऊपर के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थान, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, मुख्यतः एक राज्य कार्य, एक लोक कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।"

7. उक्त मुद्दे के आधार पर, वे प्रस्तुत करते हैं कि छह वर्ष की आयु से ऊपर के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले निजी संस्थान, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, मुख्यतः एक राज्य कार्य, एक लोक कर्तव्य निभाते हैं, इसलिए वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ण पीठ के निर्णय के आधार पर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अभिनिर्धारणों पर भी विचार किया गया है, उठाया गया तर्क निरस्त किए जाने योग्य है।
8. प्रतिस्पर्धी तर्कों को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रारंभिक आपत्ति के प्रश्न के संबंध में, **रॉयचन (उपरोक्त)** में निर्धारित सिद्धांत के दृष्टिगत विधि अब अनिर्णीत नहीं है। यह न्यायालय पाता है कि निजी संस्थान एक लोक कार्य निभाने की परिधि में आते हैं तथा निजी संस्थानों द्वारा पारित आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
9. प्रकरण के गुण-दोष के संबंध में दूसरे प्रश्न पर आते हुए, प्रकरण के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दिनांक 16.12.2025 का निलंबन आदेश अब अपनी समाप्ति पर पहुंच चुका है, क्योंकि याची पर लगाई गई वही समय अवधि अब समाप्त हो चुकी है। आदेश के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि अनुशासन समिति ने याची के निलंबन का निर्णय लिया है, तथापि, आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अनुशासन समिति द्वारा याची को वास्तव में कोई कारण बताओ नोटिस जारी की गई थी तथा याची के करियर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला ऐसा कठोर कदम उठाने हेतु अनुशासन समिति द्वारा क्या कारण बताया गया था। अपील के आगे कोई मार्ग नहीं है जिससे याची उपचार से रहित हो गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय की राय है कि याची पर एक दंड लगाया गया था जो अब अपने तार्किक अंत पर पहुंच चुका है और इसलिए, याची को उपस्थिति की कमी के आधार पर अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने से रोककर आगे दंडित



नहीं किया जा सकता। न्यायालय इस निष्कर्ष पर इस आधार पर पहुंचा है कि कॉलेज द्वारा लगाए गए दंड में आदेश में बताए अनुसार अपील का कोई प्रावधान नहीं था। किसी भी संचार या आक्षेपित आदेशसे यह प्रतीत नहीं होता कि कॉलेज ने अपील दाखिल करने हेतु कोई मंच प्रदान किया है। इस प्रकार, समग्र परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, यह इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याची को उसके द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में पहले ही दंडित किया जा चुका है। उसे छह महीने की अवधि हेतु निलंबित किया गया था, इसके पश्चात रिट याचिका की लंबितता के दौरान निलंबन की अवधि भी समाप्त हो गई। निजी प्रतिवादी संख्या 3 तथा 4 ने, दिनांक 18.05.2026 के न्यायालय के आदेश के बाद भी, कॉलेज द्वारा बनाए गए ऐसे किसी नियम या विनियम को दाखिल नहीं किया है, जो ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता हो, और न ही उन्होंने यह दर्शाने हेतु कोई नियम एवं विनियम अभिलेख पर लाए हैं कि अपील का कोई और उपचार था, जिसका लाभ याची लेने में असफल रहा।

10. उपर्युक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय की सुविचारित राय है कि तत्काल याचिका को इस निर्देश के साथ आंशिक रूप से स्वीकार किया जाए कि याची को अनिवार्य उपस्थिति की शर्त लगाए बिना दिनांक 22.06.2026 से आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। आक्षेपित आदेशको अपास्त करने के मुद्देके संबंध में, यह एक शैक्षणिक अभ्यास है, क्योंकि दंड याची द्वारा पहले ही भुगता जा चुका है तथा वह समाप्त हो चुका है।

11. उपर्युक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकृत होती है।

12. न्यायालय न्यायमित्र श्री कार्तिकेय सारन द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सहायता की सराहना दर्ज करता है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

18 जून, 2026

पीकेबी